बिहार सरकार

समाहरणालय अरवल

ई-मेल - dm-arwal.bih@nic.in वेबसाईट - arwal.bih.nic.in दूरभाष/फैक्स - 06337-228988

पत्रांक 152 /जि0यो0 **(जिला योजना कार्यालय)** दिनांक 11.05.2021

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय सदस्य, विधान सभा, अरवल श्री महानंद सिंह द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में अरवल जिला के विविध अस्पतालों में कोविड–19 महामारी के प्रसार के रोकथाम के लिए चिकित्सा से संबंधित सामग्री एवं उपकरण के क्रय हेतु इच्छुक अधिकृत उत्पादकों/विक्रेताओं व आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु मुहरबंद निविदा, तकनीकी एवं वित्तीय अलग–अलग आमंत्रित की जाती है।

निविदा दिनांक 21.05.2021 के अपराह्न 02:00 बजे तक जिला योजना कार्यालय, अरवल में प्राप्त किये जायेंगे एवं उसी दिन अपराहन 04:00 बजे उप विकास आयुक्त, अरवल की अध्यक्षता में जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जाएगा। निर्धारित तिथि एवं समय के पश्चात् प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा। निविदा से संबंधित विस्तृत जानकारी जिला के बेबसाईट www.arwal.bih.nic.in एवं www.prdbihar.gov.in पर देखा जा सकता है।

11/5/2021

जिला पदाधिकारी,
अरवल।

समाहरणालय, अरवल

(जिला योजना कार्यालय)

अतिअल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अन्तर्गत माननीय स0वि0स0, अरवल श्री महानंद सिंह से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में कोविड–19 महामारी के प्रसार की रोकथाम एवं चिकित्सा से संबंधित सामग्री एवं उपकरण के क्रय हेतु निर्धारित मापदंड के अनुसार अधिकृत उत्पादकों/विक्रेताओं व आपूर्तिकर्ताओं से मुहर बंद निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा दिनांक 21.05.2021 के अपराह्न 02:00 बजे तक जिला योजना कार्यालय, अरवल में प्राप्त किया जायेगा एवं प्राप्त निविदाओं को उसी दिन उप विकास आयुक्त, अरवल के कार्यालय कक्ष में 04:00 बजे अपराह्न जिला निविदा/क्रय समिति के सदस्यों के समक्ष खोला जायेगा।

List of Items:

Medical Equipments

Sl.No.	Name of Items	Quantity
01	Oxygen Cylinder D Type	40
02	Oxygen Cylinder B Type	60
03	Oxygen Concentrator 10L	20
04	Oxygen Concentrator 5L	20
05	Oxygen Face Mask Rebreather	50
06	Oxygen Face Mask	100
07	Oxygen Flowmeter	100
08	Vaporiser	10
09	Nabuliser	10
10	Sanitizer 100ml	1000

➢ **तकनीकी निविदा की शर्तेः–**

1. तकनीकी निविदा के साथ निम्न कागजात संलग्न करना अनिवार्य है,:–
   - (i) अग्रधन के रूप में जिला योजना पदाधिकारी, अरवल के पदनाम से निर्गत 100000.00 (एक लाख) रूपये का बैंक ड्राफ्ट।
   - (ii) निविदादाता अधिकृत उत्पादक/एजेंसी व आपूर्तिकर्ता को संस्था का परिचय, फर्म का नाम, कार्यालय का पूर्ण पता, पिन कोड देना अनिवार्य होगा।
   - (iii) निविदादाता को GST से निबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपि तथा 03 (तीन) वर्षो का GST रिटर्न की छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - (iv) निविदादाता को लगातार विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन की प्रति एवं पैन कार्ड नम्बर संलग्न करना अनिवार्य होगा।
   - (v) निविदादाता का टर्न ओवर पिछले वित्तीय वर्ष में 50 (पचास) लाख रूपये का होना अनिवार्य है। (सत्यापन के लिए चार्टेड एकाउन्टेन्ट द्वारा ऑडिटेड प्रॉफिट एण्ड लॉस तथा बैलेन्स शीट संलग्न करें)
   - (vi) निविदा में भाग लेने वाले निर्माता व अधिकृत एजेंसी व आपूर्तिकर्ता के पास फर्म की गुणवत्ता के लिए ISO प्रमाण पत्र होना अनिवार्य होगा।
   - (vii) संस्था का किसी फौजदारी अथवा दीवानी मामले में मुकदमा लंबित नहीं होने एवं किसी सरकारी/निजी संस्थान द्वारा काली सूची में नहीं रखने का शपथ पत्र ।
   - (viii) निविदा में चिकित्सा से संबंधित सामग्री एवं उपकरण से संबंधित वैसे निर्माता व अधिकृत एजेंसी व आपूर्तिकर्ता को प्राथमिकता दी जायेगी, जिन्होंने विगत वर्ष में कम से कम 01 (एक) करोड़ रूपये की आपूर्ति किया हो।

➢ **वित्तीय निविदा की शर्तेः–**

2. वित्तीय निविदा में उपलब्ध सूची के अनुसार सामाग्री का नाम एवं प्रति इकाई दर सभी कर सहित अंकित करना होगा।
3. निविदादाता द्वारा उद्धृत सभी दरों में आपूर्ति से संबंधित जीएसटी, कोई अन्य कर और परिवहन शुल्क आदि शामिल होंगे।

➢ **अन्य शर्तेः–**

4. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा अलग–अलग शील्ड/मुहर बंद लिफाफे में ही स्वीकार किया जायेगा। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत निविदा स्वीकार नहीं किया जायेगा।
5. तकनीकी निविदा शर्त अनुरूप मान्य होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।
6. चयनित एजेंसी उस स्थान पर सामग्री की आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होगा, जहां जिला प्रशासन अरवल जिले में आपूर्ति करने के लिए कहेगा।
7. निविदा प्रारूप में उल्लिखित मात्रा प्रकृति में सांकेतिक है और दर स्वीकृति के पश्चात बढ़ाई/घटाई जा सकती है।
8. सफल निविदादाता जिला प्रशासन, अरवल द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार आदेश देने की तिथि से 5 दिनों (पांच दिनों) के भीतर सभी सामग्रियों/उपकरणों की आपूर्ति करने की स्थिति में होगा।
9. उपरोक्त उपकरण मदों की तकनीकी मानकों एवं विशिष्टियां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ,भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार होना चाहिए।
10. एजेंसी द्वारा आपूर्ति के सफल समापन के बाद ही संबंधित निर्गत प्रमाण–पत्र के आधार पर भुगतान की कार्रवाई की जायेगी।
11. बिना कारण बताये निविदा को रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
12. निविदादाता पूरे उपकरणों के लिए बोली में भाग लेगें।
13. किसी भी तरह के विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र अरवल होगा।
14. निविदादाता स्वंय या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि भाग ले सकते है।
15. किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अन्तिम होगा।
16. यह निविदा दर मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना एवं सांसद स्थानीय विकास क्षेत्र योजना में अनुशंसित उपरोक्त उपकरण मदों में, निर्धारण की तिथि से पूरे एक वर्ष के लिए मान्य होगा।

11/5/2024

जिला पदाधिकारी
अरवल।